Ok"kZ % 40(vad % 12 (fnlEcj % 2018(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

मिड डे मील मजदूरों की संयुक्त रैली

नई दिल्ली; 19 नवम्बर 2018

(रिपोर्ट पृ० 20)

(ऊपर) *सीटू की राष्ट्रीय सचिव ए.आर. सिन्धु और*

(नीचे) *एम.डी.एम.डब्ल्यू.एफ.आई. महासचिव जय भगवान सम्बोधित करते हुए*

8–9 जनवरी, 2019 की हड़ताल के लिए

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त राज्य सम्मेलन

(रिपोर्ट पृ० 18)

पंजाब

उत्तर प्रदेश

सीटू मजदूर

lhvkbVh;s dk e[ki=

दिसम्बर 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

jktxkj l'tu	
&geyrk	5
etnj ox ij nklrk	
Fkkiu dh lkft'k	
&riu lu	9
,u-ih-,l- o ljdkjh deipkjh	
&vkj- bykxkou	13
,y-Mh-,Q- ljdkj dh	
Hkfedk o etnj ox	
&,u- inekykpuu	15
8&9 tuojh dh etnjk dh	
jk"Vªo;kih vke gMrky	18
m|kx o {k=	20
jkT;k s	22
vrjk"Vªh;	25
miHkkDrk eY; lpdkd	26

सम्पादकीय

किसान लॉन्ग मार्च और मजदूर वर्ग

5 flrEcj dh ,frgkfld etnj fdlku l?k"k jyh d ckn vc 29&30 uoEcj dk] eknh ljdkj d lkeu fdlkuk dh ekx vljnkj rjhd l j[ku d fy, ,d fo'kky fdlku jyh gkxhA jyh e tek gku l igy fdlku pkjk fn'kkvk l n'k dh jkt/kkuh fnYyh e iny ykx ekp fudkyxA n'k Hkj d 200 l T;knk fdlku lxBuk u bl jyh e Hkkxhnkjh dk ,yku fd;k g A

;dhuu o ljdkj l ;g iNx fd fiNy nk n'kd e dt e Mc yk[kk fdlku n'k Hkj e vkRegR;k;s D;k dj jg g\ lLrh C;kt ij feyu oky lLFkkxr _.k dk vf/kdk'k fgLlk —f"k 0;kikj e yxh cM d,jikjV l dh cht] —f"k ftlk d fu;kr vkj ok;nk 0;kikj e yxh dEifu;k D;k gMi tkrh g\ xjhc fdlkuk vkj [kfrgj vkoke dk dt d fy, Åph C;kt nj olyu oky lkgdkjh exjePNk d vkx D;k /kdyk tk jgk g\

ç/kkuei=h Qly chek ;ktuk ?kkVkyk cu x;h gA Hkkjr d chek fu;ked vfHkdj.k ¼b';kjl jxyVjh vFk,fjVh v,Q bfM;k½ d vkdMk d erkfcd djhc 11 chek difu;k u vdy 2016 d [kjhQ d lhtu e dæ o jkT; ljdkjk d 49&49 çfr'kr] fdlkuk d 2 çfr'kr çhfe;e l 10]000 djkM #i;k dh dekb dh gA tkfgj g fd chek d cgku fdlkuk d uke ij dkjikjV dEifu;k dk turk dk c'kekj /ku yVk;k tk jgk gA fdlkuk dk ofpr djd mud fgLl dk _.k d,jikjV l dk fn;k tkuk vkj fdlkuk dh Qly cckn d uke ij chek difu;k dh fr tkfj;k dk Hkjuk uomnkjoknh vFk0;oLFkk blh dk uke gA

fdlkuk dh rdyhQk dk nljk igy viuh Qly cpu e gku okyk ?kkVk gA o Qly cpdj Hkh viuh tehu vkj ml ij dh xb egur etnjh dk eukQk gkfly ugh dj ik jg gA LokehukFku vk;kx }kjk r; eY; fu/kkj.k d Qkeyk Hkfe dh dher] fQDLM ykxr ij ith dk C;kt tkMdj ¼lh 2½ ml ij 50 Qhln ykHk tkMdj Qly dk lefpr nke r; dju dk ljdkj u vHkh rd Lohdkj ugh fd;k gA ljdkj vkj mld Hkkin >Bh x.kuk vkj [kk[ky ok;nk l ykxk dk xejkg dju e yx gA

b/kj etnjk dk 15o Hkkjrh; Je lEeyu dh flQkfj'kk vkj mu ij lçhedkV d Qly d erkfcd r; U;ure oru l ofpr fd;k tk jgk g(m/kj fdlkuk dk mudh Qly dh dher] mle yxh ykxr] fuo'k vkj etnjh ykxr d fglkc l r; u djd mUg ofpr fd;k tk jgk gA blfy, etnj fdlku nkuk d fy, egRoi.k gk tkrk g fd o viuh vkenuh & thu yk;d vkenuh & d fy, feydj yMA Hkkjr d lfo/kku e of.kr y{; dk gkfly dju d fy, feydj yMA

ykdrkf=d Hkkjr dk Hkfo"; etnj fdlku xBc/ku ij gh fVdk gA lhVl lHkh etnjk] VªM ;fu;uk dk vkºoku djrh g fd o 29&30 uoEcj d fdlkuk d fnYyh y,Ux ekp dk leFku djA mle Hkkxhnkjh djA mld ,dtVrk e n'k0;kih dk;okfg;k dk vk;kftr dj] mue c<&p< dj fgLlk yA

etnj fdlku ,drk ftnkckn !!

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा लेबर कोड पर त्रिपक्षीय बैठक का बहिष्कार

[सभी 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों पर लेबर कोड 2018 पर त्रिपक्षीय बैठक का बहिष्कार किया और केंद्रीय श्रम मंत्री को संयुक्त रूप से इसके कारण बताते हुए लिखा। पत्र नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।]

श्री संतोष गंगवार,
श्रम एवं रोजगार मंत्री,
भारत सरकार,
श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली

20 नवम्बर, 2018

विषयः व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों पर लेबर कोड 2018 पर दिनांक 22 नवम्बर 2018 को प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक

प्रिय संतोष गंगवार जी,

दिनांक 20 नवम्बर 2018 को करीब 16.02 बजे हमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से एक ईमेल प्राप्त हुआ है कि श्री जे.के. सिंह द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 9 नवम्बर 2018 का एक पत्र भेजा जा रहा है जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त विषय पर एक त्रिपक्षीय वार्ता 22 नवम्बर 2018 को आपके कार्यालय में होनी है।

कृपया नोट करें कि 9 नवम्बर 2018 का पत्र हमारे पास 20 नवम्बर को पहुँचा है, जिसके अनुसार 22 नवम्बर 2018 को एक त्रिपक्षीय वार्ता एक ऐसे विषय पर प्रस्तावित है जिसके तहत 13 विभिन्न कानूनों, जो उद्योगों एवं सेवाओं की विशाल श्रंखला को प्रभावित करते है, में संशोधन करना प्रस्तावित है।

हम आपको यह बताने के लिए बाध्य हैं कि हितधारकों के साथ त्रिपक्षीय परामर्श की व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से कम करते हुए एक रस्म–अदायगी बना दिया गया है जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ नहीं चल सकता है।

दूसरे, हम 13 अलग–अलग कानूनों, जो अलग–अलग उद्योगों एवं सेवाओं के भिन्न क्षेत्रों व व्यवसायों से सम्बन्धित व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा के गंभीर मुद्दे के बारे में जो कि औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में ही और सेवा क्षेत्र में भी भारी भिन्नता होती है, में एक साथ के संषोधन की अवधारणा पर सख्त विरोध व्यक्त करते हैं।

हालांकि, डेढ़ दिन से कम की अल्प समय की सूचना पर, सत्तर पृष्ठ के विशाल मसौदे पर त्रिपक्षीय परामर्श के वास्ते प्रतिक्रिया देना हमारे लिए संभव नहीं होगा।

इसके अलावा, बार–बार खतो–किताबत और विरोध के बावजूद, देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन केन्द्र इन्टक को भी इस प्रस्तावित बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है और केंद्रीय ट्रेड यूनियनें सरकार के ऐसे भेदभावपूर्ण और विरोधाभासी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकती है।

ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, हम दोहराते हैं कि हम 22.11.2018 को प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होंगे।

आपका धन्यवाद,

भवदीय,

INTUC AITUC HMS CITU AIUTUC

TUCC SEWA AICCTU LPF UTUC

प्रतिलिपिः श्री जे. के सिंह, अन्डर सैक्रेटरी भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

रोजगार सृजन

8–9 जनवरी की आम हड़ताल का मुख्य मुद्दा

हेमलता,

अध्यक्ष सीटू

मेरा रोजगार कहाँ है?' यह पूरे देश में सैकड़ों लाख युवा लोगों के दिमाग को परेशान करने वाला सवाल है। 2014 में युवाओं को आकर्षित करने और उनके वोट प्राप्त करने के लिए मोदी और उनकी भाजपा द्वारा किए गए कई चुनाव पूर्व वादों में से इस एक पर, वे सरकार से ठोस जवाब चाहते हैं। लेकिन, मोदी सरकार जैसे बहरी हो गयी है।

वादा और प्रचार

आज देश में रोजगार की स्थिति क्या है जब भाजपानीत सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में है? 2014 में संसदीय चुनावों के दौरान, भाजपा ने वादा किया था कि यदि उसे सत्तासीन होने के लिए वोट मिलता है तो वह हर साल 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करेंगे। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों – 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्सहन योजना (पी.एम.आर.पी.वाई.) आदि–आदि, विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा करके यह भ्रम पैदा किया और दावा किया गया कि इनसे रोजगार पैदा होगा।

नौकरी के लिए मारामारी; गुणवत्ता की नौकरी नदारद

इन योजनाओं और कार्यक्रमों ने वास्तव में कितनी नौकरियां पैदा कीं? आइए बस कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखें जो अत्यधिक विचलित करने वाली स्थिति दर्शाती हैं।

- रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में 1.9 करोड़ शामिल हुए, जो कि 62,907 पदों के लिए थी, जिनमें ज्यादातर गैंगमेन, गेटमेन, बिजली और यांत्रिक विभागों में सहायक के हैं। उम्मीदवारों में बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर थे;
- यूपी में चतुर्थ श्रेणी की 400 नौकरियों के लिए 23 लाख आवेदक थे, उनमें से 50,000 स्नातक थे;
- पश्चिम बंगाल में चतुर्थ श्रेणी की 6,000 नौकरियों के लिए 25 लाख आवेदक थे, उनमें से अनेक स्नातक और स्नातकोत्तर थे;
- मुंबई में पुलिस कॉन्स्टेबल के 1,137 पदों के लिए 2 लाख से अधिक शामिल हुए। जिनमें 543 स्नातकोत्तर और 425 इंजीनियरिंग स्नातक थे, जबकि मूल योग्यता 12वीं थी।

कई और ऐसे ही उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता हैः इंजीनियर, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, एमबीए दुकान मुलाजिम के रूप में काम कर रहे हैं, स्नातकोत्तर रेस्तरां में बैरे के रूप आदि में काम कर रहे हैं। वे इन नौकरियों को मस्ती के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता के बावजूद ऐसी कम भुगतान वाली नौकरियां लेने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि उन्हें उपयुक्त और बेहतर नौकरियां नहीं मिल पातीं हैं।

सबसे अधिक संभावना है कि लाखों शिक्षित युवा प्रधान मंत्री के सुझाव के अनुसार 'पकोडा' बेच रहे हैं या त्रिपुरा के भाजपायी मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार 'पान की दुकान' चला रहे हैं या 'गायों का पालन' कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि वे प्रधान मंत्री मोदी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के विचारों को साझा नहीं करते हैं कि इस तरह के काम जिसमें '200 रुपये

प्रति दिन' की कमाई होती है, अगले दिन काम की गारंटी नहीं है, को भी 'रोजगार' कहा जा सकता है। यही कारण है कि वे सुनिश्चित आय के साथ एक सुरक्षित नौकरी चाहते हैं, भले ही यह स्पष्ट रूप से उनकी मूल आकांक्षाओं को पूरा न करे।

रोजगार छिनने व बेरोजगारी की बढ़ती दर और नौकरियों की अस्थायी प्रकृति

जमीन के स्तर के अनुभव के अलावा, कई प्रतिष्ठित संस्थानों के आंकड़े भी, बेरोजगारी की खराब स्थिति को दर्शाते हैं।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट 'वर्किंग इंडिया 2018' में कहा गया है कि 2013 से 2015 के बीच कुल रोजगार वास्तव में 70 लाख तक कम हो गया। ऐसी अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से मुकम्मल गिरावट जारी रही है। यह बताया गया है कि 30 सितंबर 2018 को समाप्त होने वाली छमाही की अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में 15,000–20,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खो दीं। नौकरी देने वाली फर्म टीमलीज सर्विसेज का अनुमान है कि 31 मार्च 2019 तक 65,000 दूरसंचार कर्मचारी अपनी नौकरियां खो देंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रोजगार में 2017–18 में काफी गिरावट आई है, हालांकि इन कंपनियों के राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। वे तेजी से स्वचालन और उच्च प्रौद्योगिकियों के उपयोग का सहारा ले रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक, भर्ती में कमी और कर्मचारियों की संख्या में कमी, अनुमानित से कहीं अधिक तेजी से हो रही है।

इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 में संगठित क्षेत्र में देश के आठ महत्वपूर्ण उद्योगों की बड़ी कंपनियों और कारखानों में सात साल में सबसे कम नौकरियां पैदा हुईं। नौकरियों वाले 60% लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है जो व्यापक रूप से बेरोजगारी और अस्थायी नौकरियों का संकेत देता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालांकि 1991 के बाद भारत में उच्च वृद्धि देखी गई थी, लेकिन फिर भी आधे से कम आबादी पूरी तरह से रोजगार में थी।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सी.एम.आई.ई.) के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 6.9% हो गई, जो दो साल में सबसे अधिक है। अक्टूबर 2018 में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 39.7 करोड़ थी। यह अक्टूबर 2017 में 40.7 करोड़ थी। सितंबर 2018 तक 11 महीने में 90 लाख नौकरियां (फाइनेन्सियल एक्सप्रेस 26–9–2018) खत्म हो गईं। सी.एम.आई.ई. का डेटा यह भी दिखाता है कि बेरोजगारी '30 जुलाई 2017 को संभावित श्रमिकों के 3% से बढ़कर 23 सितंबर 2018 को 8% तक हो गयी है अर्थात नौकरियां खत्म होने में लगातार वृद्धि हो रही है। केवल 14 महीनों में बेरोजगारी में 167% की वृद्धि हुई है।' रिपोर्ट के मुताबिक एक नया पहलू है, खुली बेरोजगारी की उच्च दर, जो युवाओं व उच्च शिक्षितों के लिए 16% है।

इन दो गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट की गई रोजगार सृजन की नकारात्मक प्रवृत्ति, श्रम मंत्रालय के रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के साथ मेल खाती है कि 2014 के बाद शुद्ध रोजगार सृजन (क्लोजर शटडाऊन के कारण नौकरी के नुकसान सहित) नकारात्मक ही रही है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में रोजगार में जबरदस्त गिरावट आई है। 2014–15 और 2015–16 की श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान निर्माण और आईटी सहित आठ सबसे श्रम गहन क्षेत्रों में केवल 3.7 लाख नई नौकरियां ही पैदा हुई थीं। बेशक, इनमें से अधिकतर नौकरियां प्रकृति में अस्थायी और ठेके पर थीं। भाजपा सरकार ने इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया कैसे दी? सर्वेक्षण प्रक्रिया में संशोधन का बहाना करके, 2016–17 से श्रम ब्यूरो ने इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित करना बंद कर दिया है।

लेकिन इसी अवधि के दौरान, उद्योगों और सेवाओं में शट डाऊन, क्लोजर, ले–ऑफ आदि के कारण कम से कम 15 लाख नौकरियां खत्म हो गईं। चूंकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अधिकांश मजदूर ठेका, कैजुअल/अस्थायी आदि हैं, मंदी के कारण उत्पादन में कटौती करने का कोई भी निर्णय तत्काल इन मजदूरों की सेवाओं की छंटनी/समाप्ति के परिणाम देता है। मोदीनीत वर्तमान भाजपा शासन के तहत, उत्पादन में कटौती एक नियमित विशेषता बन गई है।

छुपाव और झूठा अभियान

तथ्य यह है कि रोजगार में गिरावट का दौर है। चूंकि यह स्पष्ट हो गया है, इसलिए भाजपा सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के झूठे दावेदारी का आक्रामक अभियान शुरू कर दिया। इसने इस झूठ अभियान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

जैसे विभिन्न सरकारी संस्थान भी शामिल कर लिए हैं। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, भाजपा सरकार के मंत्रीगण जनता को धोखा देने के लिए रोजगार सृजन के मामले में गलतफहमी फैलाने में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने दावा किया कि 2017–18 में 46 लाख नौकरियां पैदा हुई थीं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दावा किया कि इसी अवधि में 70 लाख नौकरियां पैदा की गई हैं। जाहिर तौर पर श्रम मंत्रालय के आदेश पर ईपीएफओ ने दावा किया कि केवल जुलाई 2018 में 10 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। नवीनतम दावा यह है कि पीएमआरपीवाई के तहत 85 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं।

और इसकी वास्तविकता

वास्तविकता क्या है? पीएमआरपीवाई वास्तव में एक धोखाधड़ी की परियोजना है, जिसे अगस्त 2016 में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में, संबंधित प्रतिष्ठान में नए कर्मचारियों के लिए भविश्य निधि में नियोक्ता का योगदान सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से, मोदीनीत भाजपा सरकार ने नियोक्ताओं के लिए एक नई तरह की सब्सिडी शुरू कर दी है। यह पीएफ योगदान के लिए नियोक्ता के कानूनी दायित्व को राष्ट्रीय राजकोष से वित्त पोषित करके सहारा देना है। परिणाम स्वरुप ईपीएफ ग्राहकों की संख्या में वृद्धि को 'रोजगार सृजन' के रूप में दिखाया गया है। तथ्य यह है कि प्रवर्तन मशीनरी की विफलता के कारण, पात्र होने के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यरत मजदूरों को, ईपीएफ द्वारा कवर नहीं किया जाता है। कई नियोक्ता जानबूझकर कानून का उल्लंघन करते हैं। वर्तमान भाजपा सरकार के पी.एम.आर.पी.वाई. के तहत, प्रवर्तन मशीनरी की विफलता और कानून के जानबूझकर उल्लंघन को, नियोक्ताओं को सब्सिडी देने के वास्ते जनता के पैसे के बड़े हस्तांतरण से ढका जा रहा है। दूसरी ओर ईपीएफ के तहत पहले से ही मौजूद मजदूरों को शामिल करके संदिग्ध रूप से रोजगार सृजन के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार मोदीनीत भाजपा सरकार अपने कॉरपोरेट मालिकों की सेवा करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जनता को धोखा दे रही है। यह रोजगार तलाशने वाले युवाओं को निराश करता है। लेकिन यह मुनाफाखोरी के भूखे कॉरपोरेटस् और बड़े व्यापारिक घरानों को संतुष्ट कर रहा है। 'व्यवसाय में आसानी के सूचकांक' में भारत की रैंकिंग 130 से 100 तक बढ़ी है और अब 77 हो गई है। वह ऐसी ही नवउदारवादी नीतियों का पालन करके इसे 50 से कम करना चाहती है, जो आम जनता और हमारे युवाओं का भविष्य के लिए विनाशकारी साबित हुआ है।

भाजपा सरकार के कुछ मंत्रियों जैसे नितिन गडकरी, हालांकि अनजाने में, और कुछ नौकरशाहों को सत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए हैं। मराठों के लिए नौकरियों में आरक्षण की माँगों पर प्रतिक्रिया करते हुए, मोदी सरकार के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 'नौकरियां कहाँ हैं' पूछकर पलटवार किया। ईपीएफओ पे–रोल डेटा का हवाला देते हुए संसद में प्रधान मंत्री के दावे कि अकेले पिछले साल 1 करोड़ नौकरियां पैदा की गई को, हाल ही में मुख्य सांख्यिकिविद ने पंचर कर दिया, जब उन्होंने कहा कि 'ईपीएफओ नामांकन डेटा नौकरी बनाने की बात कभी नहीं करता'।

कठोर सच्चाई

देश में 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम है और 35 वर्ष से कम 65% से अधिक है। अनुमान है कि भारत में चार साल के भीतर 87 करोड़, अर्थात दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे। हमारा देश उत्पादन प्रक्रियाओं, सेवाओं इत्यादि में अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता को नियोजित करके इस विशाल क्षमता का उपयोग करके सभी क्षेत्रों में विकास में महान कदम प्राप्त कर सकता है लेकिन पूँजीवादी व्यवस्था के तहत, खासतौर पर अपने नवीनतम और सबसे पूर्ववर्ती चरण में नवउदारवाद, जिस पर भाजपानीत मोदी सरकार आक्रामक रूप से चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता है।

आर्थिक विकास स्वयं ही नौकरियां पैदा करेगा, की धारणा राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय स्तर की कई रिपोर्टों से गलत साबित हुई है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में नवउदारवाद की वृद्धि के तहत नौकरियां कम पैदा हुई थीं। '1970 और 1980 के दशक में, जब सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगभग 3–4% थी,

रोजगार वृद्धि प्रति वर्ष लगभग 2% थी'। 1990 के दशक और विशेष रूप से 2000 के दशक में, सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि हुई है लेकिन रोजगार की वृद्धि प्रति वर्ष 1% या उससे भी कम हो गयी है।

स्थायी नौकरियों में भारी गिरावट और ठेका, कैजुअल, अस्थायी, निश्चित अवधि, अंशकालिक, अप्रेन्टिस, ट्रेनी आदि जैसी अनिश्चित नौकरियों में वृद्धि के साथ, नवउदारवादी व्यवस्था में रोजगार की स्थिति खराब हो गई है। 2008 में शुरू होने वाले व्यवस्थागत संकट के बाद स्थिति और खराब हो गई है, और अभी भी जारी है। इस तरह के संकट पूँजीवादी व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और नियोक्ता संकट के बोझ को मजदूरों पर डालकर अपने मुनाफे की रक्षा करना चाहते हैं। बढ़ती बेरोजगारी इसी के परिणामों में से एक है।

बेरोजगारी के खिलाफ ट्रेड यूनियन आंदोलन

संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन लंबे समय से रोजगार सृजन की माँग उठा रहा है। वह माँग कर रहा है कि बड़े कॉरपोरेटस् को दी जा रही रियायतें और छूटों को रोजगार सृजन से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार ने माँग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हर साल बड़े कॉरपोरेटस् को लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की कर छूट दी जाती है, जबकि रोजगार सृजन नकारात्मक हो रहा है। सरकार का बकाया पैसा जनता का बकाया पैसा है। यह छूटें इस बहाने से दी जा रही है कि इससे नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन यह केवल काल्पनिक ही होकर रह गया है। शुद्ध रोजगार सृजन नकारात्मक ही रहा है। जो भी रोजगार पैदा हुआ है, वह बहुत ही खराब गुणवत्ता, अभद्रता पूर्ण, और नौकरी, आमदनी या सामाजिक सुरक्षा के बिना ही है।

रोजगार सृजन संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा आहूत 8–9 जनवरी 2019 की देशव्यापी आम हड़ताल के लिए उठाई गई 12 सूत्रीय माँगों में से एक है। दो दिन की हड़ताल मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नवउदारवादी शासन के खिलाफ निरंतर संघर्ष का हिस्सा है, जिसे भाजपानीत मोदी सरकार ने बढ़े जोशो–खरोश और पूरी क्रूरता के साथ लागू किया है।

सत्ता के लिए बांटो, ध्यान हटाओ, छिन्न–भिन्न करो

इतना ही नहीं, भाजपानीत सरकार और उसके वैचारिक सलाहकार आरएसएस की अगुवाई में, जनता और विशेष रूप से युवाओं की ऊर्जा को अनुत्पादक और विनाशकारी रास्तों पर ले जाने का प्रयास कर रही है। आरएसएस और इसके कई संगठन, रोजगार की कमी, अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता आदि विकसित करने के अवसरों की कमी के खिलाफ युवाओं के बीच उत्पन्न निराशा को युवाओं के बीच मतभेदों का उपयोग करके वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भाजपा के चुनावी लाभ के वास्ते, समाज का ध्रुवीकरण धर्म, जाति, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किया जा सके। समाज के ध्रुवीकरण के लिए, भाजपा का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भड़कावा, अल्पसंख्यकों और दलितों पर बढ़ते हमलों आदि को आरएसएस और उसके विभिन्न संगठनों द्वारा तैयार किया जा रहा है। वे मजदूर वर्ग, युवा और समाज को आमतौर पर विभाजित करने के लिए जनता की एकता को तोडकर, नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। मजदूर वर्ग को इस तरह के प्रयासों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए, अपनी एकता की रक्षा करना चाहिए और ऐसे विभाजनकारी प्रयासों को पराजित करना चाहिए।

आह्वान

दो दिवसीय हड़ताल के कई अन्य मुद्दों के साथ रोजगार, मजदूरों के साथ ही जनता के सभी तबकों का एक अहम् मुद्दा है।

– सीटू, पूरे मजदूर वर्ग से उसकी ट्रेड यूनियन या राजनीतिक संबद्धताओं के बावजूद दो दिवसीय हड़ताल में शामिल होने की अपील करता है।

– सीटू सभी मेहनतकश लोगों और समाज के सभी वर्गों से भी अपनी एकजुटता और हर तरह से हड़ताल का समर्थन करने की अपील करता है।

मजदूर वर्ग पर दासता थोपने की साजिश; कानून बदले बिना 'हायर एण्ड फायर'

तपन सेन

भाजपा सरकार ने केंद्र में जिस दिन अपना कार्यभार संभाला था, उसी दिन से विभिन्न रास्तों के माध्यम से मजदूरों को ''हायर एण्ड फायर'' करने के लिए वह मालिकान को बेबुनियाद अधिकार देकर सशक्त बनाने के लिए अनवरत काम कर रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य देश की कामकाजी जनता पर दासता थोपना है जो वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद का उत्पादन करती हैं, राष्ट्रीय राजकोश के लिए संसाधन उत्पन्न करती हैं और मालिकान के लिए मुनाफा भी उत्पन्न करती हैं।

मोदी सरकार का मुख्य ध्यान ''व्यवसाय करने में आसानी'' पर है। इस प्रक्रिया में, कार्यस्थलों पर ट्रेड यूनियनों को कमजोर करना और अंततः उन्मूलन करना ही मुख्य उद्देश्य है। मजदूरों और उनके अधिकारों की निरंतर लूट इसकी कार्य–प्रणाली है।

हायर एण्ड फायर के प्रयास और प्रतिरोध

यदि कोई मजदूर नहीं होता, तो माल और सेवाओं का कोई उत्पादन नहीं होता और इसलिए कोई लाभ भी नहीं होता। लेकिन, पूँजीवादी शासन के तहत, इन मजदूरों को निचोड़ा जा रहा है और सबसे अधिक शोषण किया जा रहा है। जैसे–जैसे पूँजीवादी व्यवस्था का संकट गहरा होता है और बढ़ता है, इस तरह का शोषण अधिक अत्याचारी, अधिक जघन्य और अधिक खून चूसने वाला होता जाता है।

नवउदारवादी नीतियों की शुरुआत के बाद से ही ''हायर एण्ड फायर'' प्रणाली लागू करने के प्रयास चल रहे हैं। केंद्र और कई राज्यों में एक के बाद दूसरी सरकारें श्रम कानूनों को बदलने पर उतारु हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम को बदलने के प्रयासों के तहत 300 तक मजदूरों को रोजगार देन वाले, सभी प्रतिष्ठानों में, मजदूरों की छंटनी या सरकार की पूर्व अनुमति के बिना cah?kÈ"k dj usd hfu; kÄ kv kad ksv uqfr nsusd sçLr ko d ksuCsd sn'kd d se/; esagh'kq fd; kx; kFkkA buesa78% से अधिक औद्योगिक मजदूरों को रोजगार देने वाले देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से 70% से अधिक शामिल हैं। लेकिन देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा लगातार एकजुट प्रतिरोध के कारण सरकार इस मकसद को हासिल नहीं कर सकी। दरअसल, औद्योगिक संबंध विधेयक पर कोड में भी मोदी सरकार के नवीनतम प्रस्ताव ने ''हायर एण्ड फायर'' पर उसी प्रस्ताव के लिए दबाव डाला, यानि मालिकान वर्ग को मजदूरों की अपनी इच्छानुसार छंटनी करने की पूरी आजादी, जिसका मोदी प्रायोजित ट्रेड यूनियन केन्द्र भी सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं कर सकता है।

देश में मजदूर वर्ग के संयुक्त आंदोलन के सफलतापूर्वक संघर्ष की प्रक्रिया में निरंतरता और लगातार व्यापक रूप से आगे बढ़ते रहने के कारण ''हायर एण्ड फायर'' के प्रतिगामी कदम को शुरू करने के वास्ते श्रम कानूनों को बदलने को सफलतापूर्वक रोका जा सका है।

ठेकेदारी और कैजुअलाईजेशन का रास्ता

इस पृष्ठभूमि में, भाजपानीत सरकारों ने नियोक्ता वर्ग को सशक्त बनाने के लिए, कानूनी ढांचे को बदले बिना ही, सबसे संदिग्ध साधनों का सहारा लिया है ताकि मालिकान नवीनतम एवं पैशाचिक प्रशासनिक उपायों के माध्यम से मजदूरों की अपनी मनमर्जी से छंटनी कर सकें। ''हायर एण्ड फायर'' के इस तरह के आक्रामक हमले के लिए जमीन व्यापक रूप से 1990 के दशक में नवउदारवादी नीति व्यवस्था की शुरुआत के बाद श्रम के व्यापक ठेकाकरण और कैजुअलाईजेशन के माध्यम से स्थापित की गयी। ऐसा नहीं है कि 1990 से पहले ठेका प्रणाली नहीं थी। लेकिन इस तरह के ठेके का काम ज्यादातर प्रतिष्ठानों में मुख्य रूप से परिधीय और सहायक नौकरियों में प्रचलित

था कोर परिचालन नौकरियों में इतना नहीं। यहाँ तक कि उन परिधीय नौकरियों में, विशेष रूप से स्थायी और बारहमासी प्रकृति के लिए, ठेका मजदूरों की तैनाती अवैध और सरकारों की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के उल्लंघन के रूप में जारी थी। उस स्थिति में, जहाँ भी ठेका मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित और संघर्षों का आयोजन किया जा सका, उन्हें 1980 के दशक तक कई उद्योगों में नियमित किया जा सका था।

लेकिन 1991 के बाद से, संस्थानों की मुख्य परिचालन नौकरियों में भी ठेका मजदूरों की ऐसी गैरकानूनी तैनाती, सरकारी मशीनरी की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बड़े पैमाने पर बढ़ी है, जो अब तक कुल मजदूरों के लगभग विस्फोटक अनुपात तक पहुँच रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मूल कानून के अनुसार नौकरियों के स्थायी और बारहमासी प्रकृति में तैनात ठेका मजदूरों के नियमितकरण में बाधा डाली। आधिकारिक अनुमानों (श्रम मंत्रालय–2015–16 के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण) के मुताबिक श्रम शक्ति का 46.6% को स्वरोजगार की स्थिति में पाया गया, प्रचलित प्रमुख दृष्टिकोण के अनुसार 32.8% को कैजुअल मजदूर के रूप में नियोजित पाया गया। ठेका मजदूरों सहित केवल 20.7% मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इसी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों के 64.9% और ठेका मजदूरों के 67.8% और कैजुअल मजदूरों के 95.3% के पास नौकरी का कोई लिखित अनुबंध (या नियुक्ति पत्र) नहीं है। यह स्वयं ही देश के मजदूरी/वेतनभोगी मजदूरों के बहुमत के रोजगार के अत्यंत अस्थायी चरित्र को जाहिर करता है। इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि स्व–नियोजित 67.5% (कुल मजदूरों का 46.6%) मजदूरों की औसत मासिक आय 7500 रुपये तक है, 57.2% मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों की मासिक आय 10,000 रुपये और 38.5% ठेका मजदूरों एवं 59.3% अनौपचारिक श्रमिकों की मासिक आय 5000 रुपये है। सर्वे रिपोर्ट के पूरे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उद्योगों और सेवाओं में देश के कर्मचारियों का भारी बहुमत ठेके पर हैं, केवल एक छोटा सा हिस्सा ही नियमित स्थायी रोजगार पर है। स्व–नियोजित बहुमत के बीच भी, ठेका प्रणाली छुपे तौर पर संचालन में है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें भी उद्योग में ठेके के काम के विशिष्ट विवरण सामने लेकर आए हैं। इन रिपोर्टों के मुताबिक, पेट्रोलियम क्षेत्र में कुल कर्मचारियों का 56.2%, मूल धातु (स्टील, एल्यूमीनियम इत्यादि) में 46.5%, ट्रक और ट्रॉलरों सहित ऑटोमोबाइल में 45.95%, तंबाकू उत्पाद में 72.83%, फार्मास्यूटिकल्स और कैमीकल्स में 47 19%, गैर–धातु खनिज में 60.37% ठेका मजदूर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र कुल कर्मचारियों के लगभग 50% ठेका मजदूर हैं और निजी क्षेत्र की संस्थाऐं विभिन्न प्रकार से अपने कुल कर्मचारियों के लगभग 70% को ठेका मजदूरों के रूप में नियोजित कर रही हैं।

ठेका प्रणाली के माध्यम से मजदूरों का गंभीर रूप से शोषण किया जा रहा है जिसकी खतरनाक सीमा इससे स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में, ठेका मजदूरों को, आम तौर पर समान और वही काम करने के बावजूद नियमित मजदूरों के वेतन के दसवें से भी कम का भुगतान किया जाता है, अन्य लाभों की तो बात ही क्या। निजी क्षेत्र में, ठेका मजदूरों की मजदूरी नियमित मजदूरों की मजदूरी के 50% से कम है। कानूनी रूप से हकदार होने के बावजूद ठेका मजदूरों में से अधिकांश किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित हैं। लेकिन ठेका मजदूरों के रूप में सेवा की अस्थायी प्रकृति, उन्हें लगातार छंटनी के खतरे में रखते हुए, इस तरह के लाभों को माँगने की अनुमति नहीं देती है, जिनके वे कानूनी रूप से हकदार हैं।

इतना ही नहीं संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत नियमों की धारा 25 की स्पष्ट शर्त, समान एवं वही काम करने वाले ठेका मजदूरों को नियमित मजदूरों के समान मजदूरी का भुगतान के प्रावधान को संबंधित सरकारों द्वारा लागू ही नहीं कराया जाता है जिससे ठेका मजदूरों का गंभीर शोषण हो रहा है।

''व्यवसाय करने में आसानी'' के लिए नए रास्ते

संगठित क्षेत्र में भी देश के अधिकांश मजदूरों के रोजगार संबंधों की इस अत्यधिक नाजुक पृष्ठभूमि में, वर्तमान भाजपा सरकार मालिकान dksl 'kä cukusd sfy ,] , d d sckn nlwj sd neksd sj kj kmud heuet hZ s'हायर एण्ड फायर'' करने का अधिकार देकर ताकतवर करना चाहती है। ऐसा ''व्यवसाय करने में आसानी'' को सुनिश्चित करने की उसकी बेताबी के चलते हो रहा है।

पहला कदम आउटसोर्सिंग

प्हला कदम है नियोक्ताओं को ठेकेदारी के विभिन्न तरीकों जैसे आउटसोर्सिंग, जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यावसायिक ठेका इत्यादि के माध्यम से नियमित काम में भी ठेका मजदूरों को तैनात करने की अनुमति देना। तर्क यह दिया जाता है कि काम के लिए कोई ठेकेदार नहीं लगाया गया है लेकिन एक कीमत पर पूरा काम किसी अन्य एजेन्सी को आउटसोर्स किया गया है; इसलिए आउटसोर्स एजेंसियों में काम कर रहे मजदूरों के प्रति प्रमुख्य नियोक्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि वे वास्तव में काम तो प्रमुख नियोक्ता के लिए ही काम कर रहे होते हैं। इस प्रकार इन मजदूरों को संविद श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के दायरे से बाहर निकाल दिया जाता है, और मुख्य नियोक्ता जो ज्यादातर बड़े कॉरपोरेटस् हैं, पूरी तरह से अपने वैधानिक दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे कई मामले हैं जहाँ केंद्र और राज्यों के श्रम विभागों ने संविद श्रम (आर एंड ए) अधिनियम के उल्लंघन पर आउटसोर्स एजेंसियों के मजदूरों द्वारा उठायी गयी शिकायतों या औद्योगिक विवादों को स्वीकार करने या कार्यवाही करने से इनकार कर दिया।

दूसरा, फिक्स्ड टर्म रोजगार

दूसरा, कार्यकारी आदेश के माध्यम से औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन के माध्यम से ''निश्चित अवधि का रोजगार'' की प्रणाली लागू करके, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सभी संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अस्थायी रोजगार मजदूरों की बाढ़ का रास्ता खोला गया है। देश में सभी ट्रेड यूनियनों के जोरदार विरोध के बावजूद 2002 में भाजपा सरकार के दौरान निश्चित अवधि के रोजगार को पहली बार पेश किया गया था। इसके बाद, ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा निरंतर दबाव और दृढ़ता के चलते, यूपीए सरकार को 2007 में ''निश्चित अवधि का रोजगार'' की अधिसूचना रद्द करनी पड़ी। लेकिन फिर, नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार के नए अवतार ने सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन के विरोध को नजरअंदाज करके, इस अत्याचारी प्रावधान को 2017 में पेश किया। इस प्रावधान के अनुसार नियोक्ता को 6 महीने या एक साल के लिए निश्चित अवधि के लिए मजदूरों को नियोजित करने की अनुमति दी जाएगी और कार्यकाल पूरा होने के बाद उन मजदूरों को बिना किसी नोटिस और मुआवजे के हटाया जा सकता है, जब तक कि उनके कार्यकाल को किसी अन्य निश्चित अवधि के लिए नवीनीकृत न किया जाए। इसने संबंधित मजदूरों को छंटनी के निरंतर खतरे या उनके कार्यकाल का नवीकरण न करने के द्वारा, रोजगार संबंधों में और अधिक नाजुकता की शुरुआत की है।

हालांकि नियमों के मुताबिक, सावधि के रोजगार में, मजदूर, संबंधित प्रतिष्ठान में नियमित मजदूर के समान ही मजदूरी के लिए पात्र हैं, लेकिन, उनके रोजगार की अस्थायी प्रकृति और नौकरी खो जाने का डर उनको इसकी माँग करने की इजाजत नहीं देता जिसके परिणामस्वरुप नियोक्ता स्थिति का लाभ लेने के लिए सक्षम बन जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भी यह प्रचलन में है। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर के कर्मचारी, जो पिछले 15 सालों से निश्चित अवधि के रोजगार पर हैं या फिर अवधि का नवीनीकरण करते हुए, लेकिन एयर इंडिया के कर्मचारियों की तुलना में बहुत ही कम वेतन एवं लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अन्य पीएसयू और निजी कंपनियों में भी इसी तरह के उदाहरण हैं। ओएनजीसी जैसे पीएसयू में भी, ऑन–शोर और ऑफ–शोर पर अन्वेषण की नौकरियों में अत्यधिक कुशल मजदूर भी ''फिक्स्ड टर्म रोजगार'' के तहत ही तैनात किए जा रहे हैं। और, पिछले साल ''फिक्स्ड टर्म रोजगार'' की अधिसूचना के बाद, कई राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, निजी क्षेत्र की इकाइयों में ''फिक्स्ड टर्म रोजगार'' को आक्रामक रूप से अपनाया जा रहा है और साथ ही साथ नियमित मजदूरों को एक या दूसरे बहाने से छंटनी का शिकार बनाया जा रहा है।

तीसरा, एन.ई.ई.एम. और एन.ई.टी.ए.पी.

मजदूरों के अधिक शोषण के लिए रोजगार पैटर्न को 'अस्थायी' बनाने का नवीनतम कदम है, बड़े पैमाने पर प्रशिक्षुओं को लगाना। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम जिसे, नेशनल एम्पलॉयबिलिटी इन्हान्समैन्ट मिशन (एनईईएम) और नेशनल एम्पलॉयमैन्ट थ्रू अप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम (एनईटीएपी) नाम दिया है, को लागू करके मोदीनीत भाजपा सरकार ने अपने कॉरपोरेट मालिकों को एक और उपहार दिया गया है। इन योजनाओं को देश के युवाओं के कौशल स्तर में बढ़ोत्तरी करके बेहतर रोजगार सुनिश्चित करने के जोरदार नारे के तहत पेश किया जा रहा है। लेकिन व्यावहारिक रूप से, यह अप्रेटिसों से काम लेकर, बिना किसी दायित्व के उन्हें सही वेतन

और सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया कराऐ बिना ही मजदूरों की नौकरियों को समाप्त करने का मनहूस इरादा है, और इस प्रकार श्रम लागत में नियोक्ताओं की बचत कराना है। जैसा कि पहले से ही विभिन्न उद्योगों में देखा जा रहा है, अप्रेटिसों का उपयोग सालों साल उत्पादन लाइनों पर मजदूरों के रूप में किया जाता है, और उन्हें नियमित मजदूरों के सभी हितलाभों से इनकार किया जाता है। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारी शोषण के इस रास्ते का लाभ उठा रही हैं। अन्य निजी कंपनियों ने भी मजदूरों के शोषण को बढ़ाने के लिए इस साधन का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

''व्यवसाय करने में आसानी'' की परियोजना

तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। तथाकथित ''व्यवसाय करने में आसानी'' की पूरी परियोजना का उद्देश्य व्यावहारिक रूप से मजदूरों का अधिक गंभीर शोषण और लूट करने का है जो वास्तव में उत्पादन और सेवाओं के चक्र को चलाते हैं। बिजली, परिवहन और अन्य औद्योगिक कच्चे माल और व्यापार और उद्योगों के लिए लागतों को सस्ता बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि वे सभी क्षेत्र उन्ही निजी कॉरपोरेटस् के लाभ के अलग–अलग केंद्र हैं। इसलिए मजदूरों का शोषण ही ''व्यवसाय करने में आसानी'' की उनकी परियोजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु है।

मजदूरों के इस तरह के अमानवीय शोषण से उनके खून–पसीने को चूसने को निर्बाध बनाने की सुविधा मुहैया कराने के लिए भाजपा सरकार रात–दिन काम कर रही है। उसका उद्देश्य मजदूरों को यूनियनों में संगठित होने की अनुमति नहीं देना है और प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्यबल की संरचना में अत्यधिक विषमता को शुरू करने के माध्यम से ट्रेड यूनियन आंदोलन को ही कमजोर करना है।

मुट्ठीभर नियमित मजदूर, ठेका मजदूर की बड़ी संख्या, निश्चित अवधि के कर्मचारी और प्रशिक्षु आदि सभी एक ही काम को व्यापक रूप से अलग–अलग वेतन एवं सेवा शर्तों के साथ करते हैं।

यह एक आपराधिक षड्यंत्र है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से वे पूरे मजदूर वर्ग पर दासता की शर्तों को लागू करना चाहते हैं।

नवउदारवादी मुहिम का हिस्सा

कामकाजी लोगों पर गुलामी थोपने का यह आपराधिक षड्यंत्र, संकटग्रस्त नवउदारवादी पूँजीवादी व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए हमारी लड़ाई शोषणकारी नवउदारवादी नीतियों और उनके राजनीतिक परिचालकों जो षासन के शीर्ष पर बैठे हैं, के खिलाफ होना चाहिए। इस समय ये केंद्र और अधिकांश राज्यों में आरएसएस निर्देशित भाजपा सरकारें हैं। मजदूर वर्ग आंदोलन के द्वारा इस आपराधिक षड्यंत्र को पूरी तरह से उजागर करते हुए पूरी तरह से हराया जाना चाहिए।

दासता थोपने के मंसूबे को हराने के लिए 2 दिन की हड़ताल पर जाऐं

ट्रेड यूनियनों के एकजुट मंच द्वारा आहुत 8–9 जनवरी 2019 की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का लक्ष्य मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत करना और इस षड्यंत्र के प्रतिरोध के प्रति दृढ़ संकल्पित करना और साजिश करने वालों को निर्णायक रूप से सत्ता से हटा देना है।

मजदूरों और जनता पर गुलामी थोपने के मंसूबे पारित नहीं होंगे!

एन.पी.एस. और सरकारी कर्मचारी

आर. इलंगोवन

(लेख को डी.आर.ई.यू. के अभियान दस्तावेज से संक्षिप्त और संपादित किया गया है)

वर्तमान में, रेलवे और प्रतिरक्षा सहित 34,80,697 केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, जिनमें से 17,58,144 कर्मचारी एनपीएस के तहत अर्थात 50% कवर किए हुए हैं। भारतीय रेलवे में लगभग 13,84,720 कर्मचारी हैं, जिनमें से 6,84,565 कर्मचारी अर्थात 52% एनपीएस में कवर हैं। दक्षिणी रेलवे में 87,643 कर्मचारी हैं, जिनमें से 53,005 कर्मचारी अर्थात 60% एनपीएस में कवर हैं।

पुरानी पेंशन योजना (कर्मचारी पेंशन योजना–ई.पी.एस.)

ई.पी.एस. एक परिभाषित लाभ वाली योजना है। कर्मचारी कम से कम 10 साल की योग्यता वाली सेवा करके, मासिक पेंशन के रूप में अंतिम भुगतान योग्य वेतन के 50% को पाने के लिए पात्र है। न्यूनतम् सुनिश्चित पेंशन 9,000 रुपये है।

मासिक पेंशन से पेंशन के 40% के बराबर राशि को परिवर्तित किया जा सकता है यानी अग्रिम में वापस ले लिया जा सकता है, जिसे 15 वर्षों में वसूल किया जाएगा; और अग्रिम में एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। कम्यूटेशन के बाद, शेष पेंशन और पूरी पेशन पर डीए का भुगतान 15 साल तक किया जाएगा। यदि पेंशनभोगी 15 साल से पहले मर जाता है तो उन्हें शेष राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है।

पेंशन 80 वर्ष की उम्र के बाद 20%, 85 साल के बाद 30%, 90 के बाद 40% बढ़ जाती है; 95 साल के बाद 50% और 100 साल की उम्र के बाद 100% बढ़ जाती है।

जब भी वेतन आयोग वेतन संशोधन के लिए सिफारिशें पेश करता है, तो पेंशन के संशोधन के लिए जरूरी सिफारिशें भी शामिल होती हैं।

पेंशन और फैमिली पेंशन के अलावा ''मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रैच्युइटी'' का एकमुश्त भुगतान भी दिया जाता है। जो अधिकतम 20 लाख है।

पारिवारिक पेंशन, 1964 से, जीवन साथी (पत्नी/पति), अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटियों और अपंग बेटे/बेटी जो अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं हैं, को दी जाती है। एक कर्मचारी जो सेवा के दौरान सभी तरह से चिकित्सकीय तौर पर अनुपयुक्त हो जाता है, वह अमान्य पेंशन एवं ग्रैच्युइटी और दुर्घटना के कारण अपंग होने वाले कर्मचारी असामान्य पेंशन के लिए पात्र हैं। ग्रेच्युटी या कम्यूटेशन राशि के भुगतान पर कोई भी कर नहीं लगता है।

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

परिभाषित योगदान लेकिन गैर–परिभाषित लाभः एनपीएस परिभाषित लाभ योजना नहीं है। इसका योगदान परिभाषित किया गया है लेकिन लाभ परिभाषित नहीं किया गया है। वह अनिश्चित है। हालांकि, ईपीएस के तहत कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं है और पेंशन, ग्रैच्युइटी, कम्यूटेशन इत्यादि जैसे लाभ अच्छी तरह परिभाषित हैं। भाजपा सरकार ने 20–12–2003 को कार्यकारी आदेश द्वारा दिनांक .01.01.2004 से प्रभावी एन.पी.एस. की शुरुआत की। यूपीए–2 सरकार ने वामपंथी दलों को छोड़कर भाजपा और अन्य सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के समर्थन से पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) अधिनियम, 2013 पारित किया, और 1 फरवरी, 2014 को इसे लागू किया।

एनपीएस के तहत 10% मूल वेतन+डीए वसूल किया गया है। सरकार बराबर राशि का अनुदान देती है। अगस्त, 2008 तक दोनों राशियों ने ब्याज अर्जित किया। इसके बाद इसे बैंक ऑफ इंडिया, एक राष्ट्रीयकृत बैंक को भेजा गया। अब यह एक निजी बैंक एक्सिस बैंक को भेजा जाता है। कुल राशि एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई के तीन पेंशन फंड प्रबंधकों को वितरित की जाती है। वे शेयर बाजार में 15% और सरकारी और निजी कॉरपोरेटस् दोनों के बॉन्ड में 85% निवेश करते हैं। इस निवेश पर रिटर्न

की कोई गारंटी नहीं है। सेबी द्वारा सूचीबद्ध 8 जोखिमों में से एक के अनुसार मूल राशि के डूब जाने का जोखिम है। निवेश की गई राशि और वापसी को एक साथ पेंशन संपत्ति कहा जाता है।

60 साल की उम्र होने पर सेवानिवृत्ति के समय, यदि मूलधन और बचत अभी भी उपलब्ध है, तो कुल राशि का 60% बराबर की राशि सेवानिवृत को दी जाती है। इस पर ईपीएस के विपरीत कराधान लागू होता है। शेष 40% को एन्युटियों में निवेश किया जाना है और सेवानिवृत को उस कंपनी को चुनने का विकल्प दिया जाता है जिसमें वह एन्युटी में निवेश कर सकता है। पेंशन संपत्ति का 40% निवेश अनिवार्य है। यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र से पहले स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होता या इस्तीफा दे देता है तो उसे पेंशन संपत्ति का केवल 20% का भुगतान किया जाएगा और शेष 80% को एन्युटी में निवेश किया जाना चाहिए। यदि पेंशन संपत्ति की कुल राशि 2 लाख रुपये या उससे कम है तो पूरी राशि वापस ली जा सकती है।

हालांकि यह कहा गया है कि यह 40% या 80% निवेश की वास्तविक राशि पर कोई कर देय नही होता है, लेकिन 18% जीएसटी थोप दिया गया है। पीएफआरडीए ने एलआईसी और आईसीआईसीआई जैसे कुछ एन्युटी प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया है। 40% या 80% राशि को खरीद मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार आप पेंशन के लिए एक योजना खरीदते हैं।

एनपीएस एन्युटियां और लाभ के विभिन्न प्रकार

(i) **डिफॉल्ट योजनाः** इस योजना के अनुसार पेंशन का भुगतान जीवन के लिए किया जाएगा। मृत्यु के बाद पति/पत्नी को मृत्यु तक एक ही राशि मिल जाएगी। यदि पति/पत्नी एनपीएस ग्राहक के रहते ही मर जाता है तो कोई और पेंशन प्राप्त नहीं करेगा। न तो अपंग पुत्र और न ही अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी को पेंशन मिलेगी क्योंकि यह ईपीएस में उपलब्ध है। नामांकित व्यक्ति को निवेश की गई राशि वापस मिल जाएगी यानी खरीद मूल्य वापस कर दिया जाएगा।

(ii) **केवल जीवन भर के लिए योजनाः** इस योजना के तहत, योगदानकर्ता के जीवनकाल के दौरान पेंशन दी जाती है और, उसकी मृत्यु के बाद इसे रोक दिया जाता है। पति/पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। खरीद मूल्य भी गुम हो गया है। पति/पत्नी या नामांकित व्यक्ति निवेशित राशि वापस नहीं ले पाएंगे। कुछ अन्य प्रकार की योजनाओं में भी खरीद मूल्य गुम हो जाता है।

(iii) **एन्युटियों में निवेशः** खरीद मूल्य के साथ एन्युटी कंपनी क्या करती है? वे शेयर बाजार में 100% निवेश करते हैं। यदि शेयर बाजार संकट है तो निवेश खत्म हो जाएगा और कंपनी न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं देगी। बासुदेव आचार्य, सीपीआई (एम) सांसद ने अंतिम वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन के लिए अधिनियम में संशोधन पेश किया। सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसे वोट के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन परास्त हो गया, क्योंकि वामपंथी दलों को छोड़कर सभी पार्टियों ने इसके खिलाफ मतदान किया था।

अटल पेंशन योजना

भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना भी निवेश पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का विकल्प चुनता है तो उसका संचित योगदान 8.5 लाख रुपये होना चाहिए। यदि शेयर बाजार में निवेश अधिक राशि कमाता है तो निवेशक को अधिक पेंशन मिलेगी। सरकार कम लागत कमाने या बाजार संकट में डूब जाने की स्थिति में 5000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का भुगतान गारंटी देती है। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को गारंटी के समान राशि मिल जाएगी। पति और पत्नी दोनों की मौत के बाद खरीद मूल्य नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है।

लेकिन, वही सरकार एनपीएस के तहत अपने कर्मचारियों को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का भुगतान करने से इंकार कर देती है।

एनपीएस और वामपंथी सरकारें

केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में तीन वामपंथी दलों की अगुवाई वाली सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने एनपीएस लागू किया। जब केरल में कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्होंने 1–4–2013 से केरल में एनपीएस लागू किया। पश्चिम बंगाल में अभी भी पुरानी पेंशन योजना (ईपीएस) जारी है। हाल ही में, त्रिपुरा ने भाजपानीत सरकार को चुना है और इसलिए, पुरानी पेंशन का भविष्य खतरे में है।

केरल की बाढ़

एल.डी.एफ. सरकार की भूमिका और मजदूर वर्ग

एन पदमालोचनन

(केरल में सदी की भयंकरतम बाढ आयी। केरल की जनता ने शांति और एकजुट ताकत के साथ अपने संयुक्त प्रयासो का प्रदर्शन किया। मजदूर वर्ग और उसकी यूनियनों ने बिना किसी पुरुस्कार, पारिश्रामिक के बाढ़ पीड़ितों की राहत व पुनर्वास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोगो की जान बचाने में फिशरमैन यूनियन, भारी मुश्किलों के बीच रिकार्ड समय में बिजली आपूर्ति बहाल करने में बिजली मजदूरों व कर्मचारियों तथा बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में बोझा ढ़ोने वालों का योगदान विशेष चर्चा के लायक रहा। एल.डी.एफ. सरकार द्वारा किये गये राहत, पुनर्वास व पुननिर्माण कार्य की हर और प्रशंसा की गयी है।

केवल भाजपा व आर एस एस के अन्य संगठनों व उनकी सरकार के द्वारा ही केरल की जनता के प्रयासो में बाधा डालने की कोशिशें की गयीं। यही ताकतें है जो अब अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केरल के लोगो के बीच उठापटक व दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है।

इस पृष्ठभूमि में, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाली केरल की महान जनता के प्रयासों को स्मरण करने के लिए यह लेख प्रकाशित किया जा रहा है जो अब उसकी एकता को तोड़ने की इस मानव निर्मित विघटन कारी चुनौती का सामना करेगी। – संपादक)

विनाशकारी बाढ़

केरल में भारी बारिश हुई थी। पिछले सौ वर्षों में राज्य में हुई यह सबसे अधिक बारिश थी। राज्य के 14 में से 13 जिले इससे प्रभावित हुए थे। 439 लोगो की जान चली गई और 44 लोग अभी भी लापता हैं। 3,91,494 परिवारों के 14,50,707 परिवारों को राहत शिविरों में शरण दी गयी थी। केरल के इतिहास मैं यह पहली बार था कि इतनी विशाल संख्या में लोग राहत शिविरों मै रहने को मजबूर हुए थे।

14 अगस्त, 2018 को तो बारिश अत्यंत तेज थी। भारतीय मौसम विभाग इसकी भविष्यवाणी करने में असफल रहा था। उनकी भविश्यवाणी यह थी 9 से 15 अगस्त तक 98.8 मिलीमीटर बारिश होगी; लेकिन वास्तव में 352.2 मिलीमीटर बारिश हुई जो भविष्यवाणी से तीन गुना अधिक थी। भारी बारिश के कारण जलस्तर बेकाबू हो गया। भारत पुझा, पेरिपार, चलाकुडी पुझा, पंबा जैसी जानी–मानी व अन्य सभी नादियों में उफान आ गया था और वे किनारों से ऊपर बह रही थी; नदियों के किनारे के इलाकों में भारी बाढ़ थी। सभी 82 बांध जल भंडारण की अधिकतम सीमा तक भर चुके थे।

भारी बारिश से बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। 54,000 हेक्टेअर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गयी; 50,000 पशु तथा सैकड़ो मुर्गी फार्म अपने दो लाख उत्पाद के साथ नष्ट हो गयं। सैकड़ो घर ढ़ह गये। बाढ के घने पानी से बहुमंजिली इतारते भी नही बची। राज्य के कई भागों में तो भूमि की भौगोलिक विशेषताये ही पूरी तरह से बदल गयी। आवासीय व कमर्शियल इलाकों के बड़े हिस्से पूरी तरह इलाकों के बड़े हिस्से पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गये। सरकारी दफ्तरों में बहुत से दस्तावेज नष्ट हो गये जिसके अच्छे खासे हिससे को वापस नही पाया जा सकता, अत्याधिक मानवीय प्रयासों से बने सैकड़ो साल पुराने स्मारक व संस्थान भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

केरल के इतिहास में केवल 1924 में एक बड़ी बाढ़ आयी थी। लेकिन तब आबादी का धनत्व बहुत कम था मौजूदा आबादी का एक तिहाई। प्रभावित इलाकों की पारिस्थितिकीय विभिन्नता को ध्यान में रखे बिना केरल में बाढ़ से हुए नुकसान का अंदाजा लगाना

आसान नही है। केरल में 44 नदियाँ है जिसमें से 41 पश्चिमी घाट से निकलती है जो पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ बहती है। राज्य भर में नदियों के इस संजाल ने आपदा को बढ़ाया।

राज्य सरकार के प्रयास

एकदम शुरूआत से ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केरल की सरकार ने आपदा से निपटने और बचाव व राहत कार्यो के लिए लगातार, समन्वित व संगठित प्रयास किये। घटना के ठीक अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने राज्य स्त्ररीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई और वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिये सभी जिला कंलेक्टरों से संपर्क किया। प्रत्येक दिन सुबह व शाम बैठकें कर बचाव कार्यो की समीक्षा की गयी। इन बैठकों में मानव संसाधन समेत संसाधनों के वितरण के तौर–तरीके को अंतिम रूप दिया गया। एक 24 घंटे नजर रखने वाला सेल शुरू किया गया। प्रत्येक जिले को राज्य के मंत्रियों की देख रेख में रखा गया पहली प्राथमिकता मानव जीवन को बचाने की थी।

बाढ़ के शिकार हुए लोंगों के परिजनों को राहत प्रदान करने का कार्य दरअसल 29 मई को शुरू किया गया था। सरकार ने 3 अक्टूबर 2018 तक मृतकों के 334 परिजनों में से प्रत्येक को 4 लाख रूपयें तथा अन्य 5,58,335, परिवारों में से प्रत्येक को 10,000 रूपये जारी कर दिये थे। सरकार ने बैंकों से 925 करोड़ का कर्ज लेकर 1,39,785 परिवारों को कुटुम्बश्री के तहत प्रत्येक को 1 लाख रूपये का ब्याजमुक्त कर्ज देने के लिए भी कदम उठाये। इस कर्ज का ब्याज़ सरकार द्वारा अदा किया जायेगा।

सरकार ने छात्रों के खो गये प्रमाणपत्रों ड्राइविंग लाइसेंसों व अन्य दस्तावेजों को जारी करने के लिए भी कदम उठाये। 40,575 विद्यार्थियों को कापियाँ व पाठयपुस्तकें प्रदान की गयी।

जनता के प्रयास

बचाव व राहत गतिविधियों के दौरान केरल के समाज का धर्मनिपेक्ष ताना–'बाना व बहुलतावादी संस्कृति स्पष्ट उभर कर सामने आयी। लोगों ने एकताबद्व होकर बचाव कार्यो में हिस्सा लिया और रंग, जाति, धर्म का कोई भेद उनकी इस एकता को नही तोड़ सका।

सी.पी.आई. (एम) वालंटियर्स

सी पी आई (एम) के वालंटियर्स आपदा की शुरूआत से ही बचाव व राहत कार्यो में शामिल थे। उन्होने प्रभावित लोगो को खतरे वाले स्थानों से राहत शिविरों या सुरक्षित स्थानों पर पहँचाया। उन्होनें केरल के इतिहास में अभूतपूर्व दिक्कतों का सामना करते हुए राहत शिविरों का संचालन किया और संसाधन इकट्ठा किए।

बाढ़ का पानी घटने के बाद, सफाई का काम हाथ में लिया गया। अन्य जिलों से वालंटियर अलापुझा एरनाकुलम, पथनमाथिट्टा आादि बुरी तरह से प्रभावित जिलों में गये। एनराकुलम जिले में 53,112 सी.पी.आई. (एम) वालंटियर बाढ़ राहत कार्य में शामिल हुए। इनका बहुमत अन्य जिलों से आया था।

वर्गीय व जन संगठन

वर्गीय व जनसंगठनों ने भी प्रभावशाली काम किया। फिशरीज सैक्टर के सीटू सदस्यों को उनके जीवन रक्षा मिशन के लिए चहुँ ओर से प्रशंसा प्राप्त हुई। 600 से ज्यादा मछुवारे लॉरियों के माध्यम से अपनी नौकायें लेकर बाढ़ प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में गये और उन फसें हुए परिवारों को बचाया जिन तक सेना के हैलीकाप्टर/पुलिस इत्यादि नहीं पहुंच पाये थे। मुख्यमंत्री ने इन जीवन रक्षक मछुवारों को बचाव में लगी केरल की सेना बताया। सरकार ने प्रति नौका 3000 रूपये किराया देने की पेशकश की लेकिन मछुवारों ने इसे लेने से मना किया और इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया। बिजली मजदूरों ने गजब का संकल्प व तेजी दिखते हुए 5 दिन के अन्दर 1 लाख से ज्यादा परिवारों के बिजली कनेक्शन बहाल किये। निर्माण मजदूर, हेड लोडिग वर्कर्स, प्लाम्बर्स, योजना मजदूर तथा अन्य मजदूर तबकों ने मरमम्त व नये निर्माण के साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में पुर्ननिर्माण के काम में भारी संख्या में भाग लिया।

बाढ़ व राहत कार्य का परिणामः एक नजर में

- 439 लोगों की जान गई और 44 अभी भी लापता हैं;
- 26,000 घर पूरी तरह से या आंशिक रुप से ध्वस्त हो गये;
- 5645 शिविरों में; 7,24,645 लोगों ने शरण ली;
- लगभग 1,000 परिवारों के लगभग 6,000 लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं;
- 3,20,000 कुएं बाढ़ से प्रभावित हुए जिनमें से 3,00,956 कुओं की सफाई व मरम्मत कर दी गयी है;
- 40,000 हेक्टेअर में अनुमानित 20,000 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ;
- राहत कार्य के हिस्से के रुप में 83 बांधों में 33 को खोला गया;
- पुलिस, फायर ब्रिगेड, आर्मी, नेवी, एअरफोर्स, कोस्टगार्ड की तैनाती हुई;
- केन्द्रीय बलों की भागीदारी रही 7,443;
- विदेशों में रह रहे केरलवासियों से सितम्बर, 2018 के अंत तक 1,467.15 करोड़ का राहत कोष प्राप्त हुआ;
- केन्द्र सरकार का फण्ड रहा 600 करोड़;
- केन्द्र सरकार ने यू.ए.ई. से 700 करोड़ का डोनेशन लेने की मंजूरी नहीं दी;
- केन्द्र सरकार ने केरल के मंत्रियों को विदेशों में रह रहे केरलवासियों से फंड जमा करने की इजाजत नहीं दी;
- यू.एन. इण्डिया के प्रमुख यूरी अफोनासीर के आकलन के अनुसार राज्य को बाढ़ के बाद बहाली व पुर्ननिर्माण के लिए 31,000 करोड़ रुपयें की जरुरत होगी।

राहत कोष में दान हेतु मजदूरों व कर्मचारियों का विशाल समर्थन

बाढ़ के प्रथम चरण में, मुख्यमंत्री ने सरकारी, अर्द्धसरकारी व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से उनका दो दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का आह्वान किया था। इस आह्वान का समर्थन 100% था।

मुख्यमंत्री ने बाद में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य संस्थानों के मजदूरों से 10 किस्तों में अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की अपील की। 80% कर्मचारियों, शिक्षकों व मजदूरों ने मुख्यमंत्री के अनुरोध के मुताबिक योगदान करने की इच्छा व्यक्त की।

चेन्नामंगलम हस्तशिल्प ईकाईयां पूरी तरह से नष्ट हो गई थी जिनसे सैकड़ों परिवारों की जीविका प्रभावित हुई। सीटू की केरल राज्य समिति इन ईकाईयों के पुर्ननिर्माण के लिए अपने फंड से पहले ही 5 लाख रुपये का योगदान कर चुकी है।

(एन. पदमालोचनन सीटू केरल राज्य समिति के सचिव हैं)

तमिलनाडू में 'गाजा' चक्रवात का कहर

सीटू का अत्यावश्यक आह्वान

22 नवम्बर को, सीटू ने आमतौर पर मजदूर वर्ग से और विशेषकर तमिलनाडू से गाजा चक्रवात से प्रभावित लोगों की एकजुटता में खड़े होने का आह्वान करते हुए अपनी यूनियनों व सदस्यों से बचाव कार्यों में शामिल होने तथा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए राहत व पुर्नवास कार्यों में भाग लेने के लिए कहा। चक्रवात गाजा ने भारी क्षति पहुंचाई है; 50 लोगों की जान गयी है; संपत्ति व आधारभूत ढ़ांचे को भारी नुकसान पहुँचा है। करीब एक लाख लोग नागपट्टिनम, कड्डालोर, त्रिरुवरुर, थंजावुर, पुड्डुकोट्टई, त्रिची, डिंडीगुल, थेनी, रामनाथपुरम जिलों में राहत शिविरों में हैं। सीटू ने राज्य व केन्द्र सरकार से भी प्रभावित लोगों के बचाव राहत व पुर्नवास के लिए केरल की तरह अन्य सभी तबकों के लोगों को एकजुट कर हर संभव कदम उठाने की माँग की है।

8–9 जनवरी को मजदूरों की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल

राज्य कन्वेन्शनें

[28 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने 8–9 जनवरी, 2019 की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया। सम्मेलन की घोषणा ने राज्य, जिला और क्षेत्रवार सम्मेलनों को आयोजित करने के प्रारंभिक कार्यक्रमों को तय किया, संयुक्त हड़ताल नोटिस पेश करने और हड़ताल के मुद्दों पर मजदूरों एवं जनता के बीच घनीभूत अभियान चलाने की घोषणा की। कार्रवाहियों की इस श्रंखला में, कई राज्यों में राज्य स्तर के संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रेस में जाने तक सीटू केंद्र में निम्न कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।]

ओडिशा

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) और स्वतंत्र कर्मचारियों की यूनियनों का ओडिषा राज्य स्तरीय संयुक्त सम्मेलन 4 नवंबर को भंजकला मंडप, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। सीटू के लम्बोदर नायक, एटक के अशोक दास, एच.एम.एस. के के.सी. पात्रा, इंटक के मदन ढाल, ए.आई.यू.टी.यू.सी. के संभूनाथ नायक, ए.आई.सी.सी.टी.यू. के एन.के. मोहंती की अध्यक्षमण्डली ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।

मजदूरों की 8–9 जनवरी 2019 की घोषित अखिल भारतीय आम हड़ताल को ओडिशा में सफल करने के लिए एक घोषणा को सर्वसम्मति से पारित किया तथा मजदूरों को हड़ताल के लिए तैयार करने के वास्ते सभी जिलों एवं औद्योगिक केंद्रों में समयबद्ध जिला स्तरीय सम्मेलनों को आयोजित करने और प्रभावी संयुक्त अभियान का चलाने का फैसला किया गया।

एटक के राज्य महासचिव सौरिबन्धु कार; सीटू के राश्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य महासचिव बिश्नु मोहंती; इंटक के राज्य अध्यक्ष रामचंद्र खुंटिया; एचएमएस के राज्य महासचिव जोगेंद्र नाथ त्रिपाठी; ए.आई.सी.सी.टी.यू. के राज्य महासचिव, राधाकांत सेठी; एआईयूटीयूसी के जयसेन मेहरा; सीटू के दुस्मांत दास, इंटक के किशोर जेना, बेफी के महेंद्र परिदा, व सुशील गिरि, ए.आई.बी.ई.ए. की प्रफुला त्रिपाठी, जनरल इन्श्योरेन्स के बामादेव मिश्रा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बृहस्पति सामल, राज्य सरकार कर्मचारियों के सी.सी. प्रताप मिश्रा और अन्य ने सम्मेलन को संबोधित किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की मजदूर–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी नीति के खिलाफ और 12 सूत्रीय ekqxi = ij l aäq vfHk ku pykusij t kjs fn; kA (द्वारा: रमेश जेना)

पंजाब

5 नवंबर को जलंधर में देश भगत यादगार हॉल में एक प्रभावशाली संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलन आयोजित किया गया था। सीटू, एटक, इंटक, ए.आई.सी.सी.टी.यू., सी.टी.यू. पंजाब और कई फेडरेशनों से जुड़ी विभिन्न यूनियनों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को एटक के महासचिव अमरजीत कौर ने संबोधित किया था।

सम्मेलन में प्रस्ताव सीटू राज्य के महासचिव रघुनाथ सिंह ने प्रस्तुत करते हुए मजदूरों और कर्मचारियों का संयुक्त गहन अभियान शुरू करने के लिए आह्वान किया ताकि मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों और सांप्रदायिक फासीवादी ताकतों को हराने के लिए 8–9 जनवरी को एक बड़ी सफल हड़ताल हो सके।

प्रस्ताव के समर्थन में संबोधित करने वालों में एटक के राज्य अध्यक्ष, बंत बरार, इंटक के राज्य अध्यक्ष सुभाश शर्मा, ए.आई.सी.सी.टी.यू. के राज्य महासचिव गुलजार सिंह और पंजाब सीटीयू के राज्य अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शामिल हैं।

इस सम्मेलन की अध्यक्षता सीटू की हरजीत कौर पंजोला, एटक के सुखदेव शर्मा, इंटक के राज्य अध्यक्ष, सुखदेव सैनी, ए.आई.सी.सी.टी.यू. के राज्य अध्यक्ष रविंदर राणा, और सीटीयू पंजाब के राज्य अध्यक्ष नाथ सिंह के अध्यक्षमण्डल ने की।

कर्मचारियों के फेडरेशनों के नेताओं ने भी समर्थन में सम्मेलन को संबोधित किया। अपनी कार्य योजना के साथ प्रस्ताव संकल्प सर्वसम्मति से नारे उठाने के साथ स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन ने हड़ताल अभियान को तेज करने के लिए 27 नवंबर को मोहाली में एक राज्य स्तरीय रैली आयोजित करने का भी आह्वान किया गया। (द्वारा: रघुनाथ सिंह)

उत्तर प्रदेश

20 नवंबर को इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, ए.आई.सी.सी.टी.यू., एस.ई.डब्ल्यू.ए., टी.यू.सी.सी. द्वारा संयुक्त रूप से मजदूरों और कर्मचारियों का एक राज्य स्तरीय संयुक्त सम्मेलन लखनऊ में गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। ए.आई.यू.टी.यू.सी. उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन समर्थन व्यक्त किया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के जिन नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया उनमें सीटू राश्ट्रीय उपाध्यक्ष जेएस मजुमदार, इंटक के राज्य अध्यक्ष अशोक सिंह, एच.एम.एस. के राज्य महासचिव उमा शंकर मिश्रा, एटक के राज्य महासचिव सद्रुहिन राणा, ए.आई.सी.सी.टी.यू. के राज्य महासचिव डॉ कमल, सेवा की राज्य सचिव सुरैया एवं टी.यू.सी.सी. से उदय सिंह शामिल हैं।

सम्मेलन को संबोधित करने वाले कर्मचारियों के फेडरेशनों के नेताओं में यूपी राज्य सरकार के कर्मचारियों के महासचिव और ए.आई.एस.जी.ई.एफ. के राश्ट्रीय उपाध्यक्ष एस पी सिंह और कमलेश मिश्रा भी शामिल हैं। ए.आई.बी.ई.ए. के राज्य उप–महासचिव संगतानी, बी.एस.एन.एल.ई.यू. के राज्य महासचिव आर के मिश्रा, आँगनवाड़ी फेडरेशन की नेता वीना गुप्ता और अन्य शामिल हैं।

सीटू के आर.एस. बाजपेई ने अध्यक्षमण्डल की तरफ से कार्यवाही का संचालन किया और सीटू राज्य महासचिव प्रेमनाथ राय ने समन्वय किया। सम्मेलन ने राज्य में मजदूरों की 8–9 जनवरी 2019 की अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए एक घोषणा को सर्वसम्मति से पारित किया; जिला स्तर और सेक्टरवाइड संयुक्त सम्मेलन आयोजित करने और समय सीमा में संयुक्त हड़ताल नोटिस देने का निर्णय किया।

तमिलनाडू

सभी ट्रेड यूनियनों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें तमिलनाडु में हड़ताल को बड़ी सफलता बनाने का फैसला किया गया। बैठक में सीटू, एटक, एल.पी.एफ., एच.एम.एस., और ए.आई.सी.सी.टी.यू. और ए.आई.यू.टी.यू.सी. के नेताओं ने भाग लिया था। बैठक में 2 जोनल सम्मेलन, एक मदुरै में और दूसरा चेन्नई में दिसंबर के महीने में आयोजित करने का फैसला लिया गया। जिलावार कार्यक्रम पर चर्चा की गई। उद्योगवार अभियान और गेट मीटिंग की योजना बनाई गई। पर्चे और पोस्टर की छपाई की योजना बनाई गई।

उद्योग व क्षेत्र

योजनाकर्मी

मध्याह्न भोजन कर्मियों की वेतन बढ़ोत्तरी को भूले वित्तमंत्री

तुरन्त वेतन बढ़ोत्तरी की माँग व योजना के निजीकरण के विरोध में

हजारों मिड डे मील कर्मियों की संसद पर रैली

सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों (बी.एम.एस. को छोड़कर) की मध्याह्न भोजन कर्मियों (एम.डी.एम. वर्कर्स) की फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर देश के 15 राज्यों से जुटे लगभग 15 हजार एम.डी.एम. वर्कर्स ने केन्द्र सरकार से अपने पारिश्रमिक में तुरन्त बढ़ोत्तरी करने, योजना के निजीकरण को रोकने, मजदूर का दर्जा दिए जाने, न्यूनतम वेतन व सामाजिक सुरक्षा लाभों की माँग करते हुए 19 नवम्बर को नई दिल्ली में संसद मार्ग पर प्रभावशाली रैली व जन सभा का आयोजन किया।

मिड डे मील वर्कर्स लंबे समय से न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर व योजना को बड़े पूंजीपतियों व उनके एनजीओ को देने के विरोध में लगातार आंदोलनरत है। बच्चों के लिए दोपहर का भोजन (मिड डे मील) तैयार करने के काम में 25.06 लाख के करीब वर्कर लगी हुई हैं, जिनमें करीब 95 फीसदी समाज के गरीब–वंचित तबके की महिलाएं हैं जिनमें 40 फीसदी के करीब विधवा हैं। इन्हें 5–6 घण्टे कार्य करना पड़ता है परन्तु इसके बदले उन्हें अधिकतर राज्यों में केवल 1000 रूपये प्रतिमाह मिलते हैं वो भी वर्श में 10 महीने। यूपीए सरकार के समय ही दिसंबर 2009 में वर्करों का 1000 रूपये फिक्स मानदेय तय हुआ था। 9 वर्श गुजर जाने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा इसमें 1 रूपये की भी बढ़ौतरी नहीं हुई है।

आखिर इस महंगाई में कैसे कोई 1000 रूपये प्रतिमाह में गुजारा कर सकता है। देश के कई राज्यों में आन्दोलनों के दम पर वर्कर्स ने कुछ अतिरिक्त मानदेय भी हासिल किया है परन्तु अधिकतर राज्यों में वर्कर्स को 1000 रूपये प्रतिमाह में गुजारा करना पड़ रहा है। मिड डे मील वर्करों को न केवल बच्चों के लिए खाना तैयार करना पड़ता है बल्कि अधिकतर जगह स्वीपर, चपड़ासी, वाटर कैरियर आदि के काम भी करने पड़ते हैं क्योंकि अधिकतर स्कूलो में इन कामों के लिए स्टाफ ही नहीं है। वर्कर्स पर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है व स्कूल टाईम तक स्कूल में ही रहने की बंदिष लगाई जा रही है।

दूसरी ओर सरकार की सार्वजनिक षिक्षा की जिम्मेदारी से पल्ला जाडने की नीति के चलते स्कूलो में बच्चे कम हो रहे है। सरकारी स्कूलों को बंद व मर्ज किया जा रहा है। इस सब के चलते वर्करों को काम से निकाला जा रहा है। जहां 2010 में वर्करों की संख्या 27 लाख के करीब थी 2017–2018 में यह घटकर 25.06 लाख रह गई है। वर्करों की छंटनी हो रही है। यही नहीं त्रिपुरा व बंगाल में वहां की सताधारी पार्टी की गुंडागर्दी के चलते सैंकड़ों वर्करों को नौकरी से जबरन निकाला जा रहा है। हिमाचल में बच्चों व रसोईयों के अनुपात के निर्देश के चलते हजारों वर्करों की छंटनी हुई है।

वर्तमान में देष के 9.46 करोड़ बच्चों को 11.34 लाख स्कूलो में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। खाना बनाने के काम में 25.06 लाख वर्कर काम कर रहे हैं जिनमें अधिकतर गरीब महिलाएं हैं। योजना की शुरूआत से ही इसके लिए प्रयाप्त बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया। यूपीए सरकार के दौरान मिड डे मील परियोजना के लिए वर्श 2013–2014 में आवंटन 13215 करोड़ रूपये था। भाजपा के सता में आने के बाद इसमें भारी कटौती की गई। हालांकि 2018–19 में यह थोड़ा बढ़ाकर 10500 करोड़ कर दिया गया। परन्तु 2013–2014 के मुकाबले महंगाई इतनी बढ़ी है कि वास्तव में मिड डे मील के लिए आंवटन में भारी कमी हुई है। यही नहीं केन्द्र सरकार ने दिसंबर 2015 में नीति आयोग की बैठक में फैसला करते हुए 2016–2017 से मिड डे मील पर होने वाले खर्च का 40 प्रतिषत राज्य सरकारों द्वारा खर्च उठाने का फैसला कर लिया गया जोकि पूर्व की सरकार ने 25 प्रतिषत तय कर रखा था। भाजपा सरकार ने इन परियोजनाओं को केन्द्र की परियोजनाएं न कहकर इसे केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त (सुपोर्टिड)परियोजनाएं कहना षुरू कर दिया है।

इस योजना को भी हमारी सरकार बड़े पूंजीपतियों को मुनाफे लूटने के लिए इसे निजी हाथो में देने के लिए प्रयासरत है। तमाम विषेशज्ञों की राय है कि स्कूल में बना ताजा बना भोजन ही बच्चों के लिए ज्यादा सही है। इस सब के बावजूद पिछले 7–8 वर्श

से देष के अलग–अलग राज्यो में मिड डे मील का काम इस्कान फाऊंडेषन,अक्षयपात्र,नन्दी फाऊंडेषन,जैसे कारपोरेट गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को दिया गया है जहां लाखों बच्चों के लिए एक ही रसोई में मषीनों में भोजन बनता है। यह भोजन बच्चों को परोषने से 10–12 घण्टे पहले तैयार होता है जब तक यह बच्चों तक पंहुचता है यह खराब हो जाता है। लाखों बच्चों के लिए एक ही जगह भोजन तैयार करने से प्रति बच्चे के हिसाब से वैसे ही कच्चा राषन कम लगता है फलतः इन तथाकथित एन.जी. ओज.को हर महीने लाखों रूपये का मुनाफा केवल राषन से ही हो जाता है।

भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इस परियोजना को निजी हाथो में सौंपने का मन बना लिया था। पिछली केन्द्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में ला दिया था व इसके अन्दर केन्द्रीय रसोईघर का प्रावधान उस हालात में किया गया था जहां शहरों में स्कूलो में रसोई घर बनाने के लिए जगह नहीं हो। वर्तमान सरकार ने 16 मई 2017 को इस एक्ट में संशोधन करके शहरों में ही नहीं बल्कि जहां शहर से गांवों में सड़कों की बेहतर व्यवस्था है वहां भी केन्द्रीय रसोईघर बनाने की छूट प्रदान कर दी। अब इसी प्रावधान का सहारा लेकर इस पूरी परियोजना को हो बड़े धन्नासेठों व कारपोरेटस को देने की योजना है। देश के अलग–अलग राज्यो में योजना को बड़े एनजीओ के देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में राज्य सरकार इस्कान, अक्षयपात्र आदि संगठनों को यह काम देने का फैसला कर चुकी है। यही नहीं राज्य सरकार इन एनजीओ को करोड़ों रूपये की जमीन फ्री में केन्द्रीय रसोईघरों के निर्माण के लिए उपलब्ध करवा रही है। वहां पर वर्कर्स जबरदस्त आन्दोलन कर रही हैं। असम में आन्दोलन जारी है। एनजीओ कह रहे हैं कि जिस स्कूल में वे खाना सपलाई करेंगे वहां एक ही कुक लगेगी व उसको मानदेय भी आधा यानि 500 रूपये मिलेगा। देश के उतर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आदि राज्यों में इसी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।

हाल ही में 11 सिंतबर को देश के प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी व आशाकर्मियों के लिए नाकाफी ही सही कुछ मानदेय बढ़ौत्तरी की घोषणा की। परन्तु देश की 25.06 लाख मिड डे मील वर्कर्स को सरकार एक दम भूल गयी और उनके लिए एक रूपये की भी बढ़ोत्तरी की घोषणा नहीं की गई। जिसके खिलाफ देशभर में वर्कर्स में भारी गुस्सा फैल गया। मिड डे मील वर्कर्स फैडेरेशन ने 24 सितंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे। और इसी कड़ी में अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के मिड डे मील फेडरेषनों के साथ मिलकर 19 नवंबर को दिल्ली में संसद पर विशाल रैली करने का निर्णय लिया।

हजारों की संख्या में मिड डे मील वर्कर्स ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी हमें जवाब चाहिए। इसी दिन देश के अधिकतर राज्यों में जो वर्कर्स दिल्ली नहीं पंहुच पाऐ वे अपने यहां जिला व ब्लाक मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे थे। केन्द्र सरकार से पूछ रहे थे,आखिर बताएं कि 1000 रूपये में कोई कैसे गुजारा कर सकता है? हमें जवाब चाहिए। वर्कर्स की मांग थी कि उन्हें गूजारे लायक वेतन दिया जाए, उन्हें श्रमिक माना जाए व 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। वर्कर्स की छंटनी बंद हो, छंटनीग्रस्त कर्मियों को बहाल किया जाए, किसी भी रूप में मिड डे मील योजना का निजीकरण करने के प्रयास बंद हों, 12वीं कक्षा तक के बच्चों को मिड डे मील योजना के दायरे में लाया जाए।

रैली को मिड डे मील वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव जयभगवान सीपीआई सांसद डी.राजा, एटक महासचिव अमरजीत कौर, सीटू की राश्ट्रषेय सचिव ए.आर. सिन्धुष् एक्टू की गीता मंडल, ए.आई.यू.टी.यू.सी. के एम. चौरसिया, इंटक की उज्जैयनी, यू. टी.यू.सी. के अषोक घोश व जे.एन.यू.एस.यू. के अध्यक्ष साई बालाजी, मिड डे मील वर्कर्स फैडरेशन के नेताओं जगतराम, बयास प्रसाद यादव, अशोक थोराट, शान्ता ने भी संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए सीटू राष्ट्रीय सचिव ए.आर. सिन्धु ने कहा कि परियोजनाकर्मी प्रत्येक वर्ष श्रम के लिए करीबन 1 लाख करोड़ रूपये की पैदावार करती हैं जिसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अभी तक 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। उन्होंने वर्कर्स से 8–9 जनवरी की हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया।

रैली के दौरान ही 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय वित मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनकी टिप्पणी थी आंगनवाड़ी व आशा का मानदेय बढ़ाया है मिड डे मील कर्मी छूट गए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रस्ताव बनाकर भेजेगा हम उस पर विचार करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने उनको मांगों बारे ज्ञापन सौंपा व कहा कि जल्द ही इन मांगों का समाधान किया जाए।

रैली में पंहुची तमाम वर्कर्स ने यह भी संकल्प लिया कि हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। वेतन बढ़ौतरी व अन्य मांगों को लेकर हम देश की 25 लाख वर्कर्स को सड़कों पर उतारेगें। सांसदों के घरों पर प्रदर्शन करेंगे। 8–9 जनवरी की केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएगें। (योगदानः जय भगवान, महासचिव एम.डी.एम. डब्ल्यू.एफ.आई.)

राज्यों से

दिल्ली

न्यूनतम वेतन पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

अनुराग सक्सेना

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर,2018 को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया जिससे दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को फायदा होगां यह अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने,दिल्ली सरकार द्वारा अपने श्रमायुक्त के माध्यम से न्यूनतम वेतन पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त,2018 के अपने फैसले में दिल्ली सरकार द्वारा न्यूतम वेतन पर 3 मार्च,2017 को जारी अधिसूचना को पूरी तरह खारिज कर दिया था। नियोक्ताओं ने अधिसूचित न्यूनतम वेतन को लागू करने से इनकार करते हुए कई याचिकायें अधिसूचना को रद्द कराने के लिए दाखिल की थीं। इनमें मुख्य दलील यह दी गयी कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड आदि में कई श्रेणियों के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं है।

देरी के बाद,दिल्ली सरकार ने अप्रैल, 2016 में सलाहकार बोर्ड का गठन किया था। नियोक्ताओं व भाजपा की केन्द्र सरकार के आदेश पर दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल ने इस आधार पर सलाहकार बोर्ड को खारिज कर दिया था कि इसके लिए उनसे मंजूरी नहीं ली गई थी। उपराज्यपाल की पूर्व मंजूरी के साथ सितम्बर, 2016 में फिर से सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। कर्मचारियों की ओर से सीटू राज्य महासचिव अनुराग सक्सेना सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे।

सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने अततः 3 मार्च, 2017 को न्यूनतम वेतन पर अधिसूचना जारी की। यह पहली बार हुआ था जब सलाहकार बोर्ड ने 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों व 1992 के रप्ताकोस ब्रेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में न्यूनतम वेतन निर्धारण किया। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग में भी न्यूनतम वेतन का निर्धारण 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों व इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के आधार पर किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि 8–9 जनवरी, 2019 को होने जा रही मजदूरों की राष्ट्रीय आम हड़ताल की एक प्रमुख माँग 1 जनवरी 2016 से न्यूतम वेतन को 18000 रुपये करने की है जैसा कि 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश थी। इसलिए न्यूनतम वेतन के बारे में इस अधिसूचना का बचाव करना मजदूर वर्ग के आन्दोलन के लिए बहुत ही महत्ववूर्ण हो गया।

नियोक्ताओं ने अधिसूचित न्यूनतम वेतन को मंजूर करने व लागू करने से इनकार कर इसे छिन्न–भिन्न करने की साजिश रची। सीटू की दिल्ली राज्य समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में न्यूनतम वेतन लागू कराने के आंदोलन में अगली कतार में रही। इसने कई सारे विरोध कार्यक्रम किये और अंततः सभी ट्रेड यूनियनों को,न्यूनतम वेतन की

3 मार्च, 2017 को जारी की गई अधिसूचना को लागू कराने के लिए 20 जुलाई,2018 को एक दिन की हड़ताल के लिए तैयार किया, जो हड़ताल की मुख्य माँग थी।

नियोक्ताओं ने न्यूनतम वेतन अधिसूचना को लागू करने से इनकार करते हुए केन्द्र की भाजपा सरकार के कहने पर दिल्ली उच्च न्यायालय में कई याचिकायें दायर कीं और उच्च न्यायालय ने 1 वर्ष 5 महीने बाद अधिसूचना को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लाखों मजदूरों के आर्थिक हितों पर कुठारघात किया। उच्च न्यायालय के आदेश ने आम तौर पर मजदूरों को विशेषरुप से ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया क्योंकि उन्होंने पहली बार 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों व सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के आधार पर न्यनतम वेतन का निर्धारण कराने में और इसके परिणामस्वरुप 2 वर्ष के ज्यादा के लगातार व कठिन संघर्ष के बाद वेतन में औसत 37 प्रतिशत वषद्धि हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी।

सुप्रीम कोर्ट के 31 अक्टूबर, 2018 के अंतरिम आदेश से दिल्ली के लाखों मजदूरों को राहत मिली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस मामले की फाइल को मुख्य पीठ के समक्ष मंगवाया जिसके वे स्वयं सदस्य थे और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम ओदश ने स्पष्ट रुप दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया तथा 3 मार्च, 2017 की न्यूनतम वेतन अधिसूचना को अस्थायी रुप से बहाल कर दिया; तथा अधिसूचित न्यूनतम वेतन को 1 नवम्बर, 2018 से तब तक लागू करने का आदेश दिया जब तक कि मामले का निपटारा नहीं हो जाता; दिल्ली सरकार को एक्ट के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन करने और उसकी सिफारिश पर न्यूनतम वेतन अधिसूचना का नया मसविदा तैयार कर उसे जाँच–परख व मंजूरी के लिए 3 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया।

इस आदेश के अनुसार जो अंतिम फैसले के बाद स्थायी होगा दिल्ली में 1 नवम्बर, 2018 से प्रभावी न्यूनतम वेतन अकुशल मजदूर के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14,000 रुपये प्रतिमाह होगा। अधिसूचित न्यूनतम वेतन को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसके लागू न किये जाने का अर्थ होगा, कोर्ट की अवमानना।

सुप्रीम कोर्ट ने,सीटू राज्य कमेटी को भी उसके अध्यक्ष वीरेन्द्र गौड़ के माध्यम से मामले में हस्तक्षेपी पक्ष बनने की मंजूरी दी है। (अनुराग सक्सेना सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव हैं)

राजस्थान

सड़क परिवहन मजदूरों की हड़ताल और संघर्ष

जब चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) के मजदूरों ने 6 अक्टूबर, 2018 को 20 दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त कर दी।

हड़ताल का नेतृत्व सीटू, एटक, इन्टक और आर.एस.आर.टी.सी. मजदूरों की कुछ अन्य स्थानीय यूनियनों की ज्वाइन्ट एक्शन कमेटी (जे.ए.सी.) ने किया। यह हड़ताल, सड़क परिवहन मंत्री समेत सरकार, आर.एस.आर.टी.सी. प्रबंधन और जे.ए.सी. के बीच 27 जुलाई, 2018 को हुए पहले के समझौते को लागू करने की एकमात्र माँग के लिए की गयी थी। (वर्किंग क्लास, सितंबर 2018)।

पहले के समझौते में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकायों और मौजूदा कर्मचारियों के भत्ते के भुगतान के लिए सरकार द्वारा 150 करोड़ रूपए देना शामिल है; अचलनीय बसों के स्थान नई बसों को लगाने; राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान 7वें सीपीसी को लागू करने और खाली पदों को भरने के मामले में 31 अगस्त, 2018 तक अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए, यूनियन प्रतिनिधियों सहित उच्चस्तरीय समिति का गठन करना। सरकार ने इस समझौते को लागू नहीं किया।

3 साल से अधिक समय से, आर.एस.आर.टी.सी. मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दौर में आंदोलन के दबाव में सरकार को, निजी बसों को आर.एस.आर.टी.सी. बस स्टेशनों से संचालित करने की इजाजत देने वाली अपनी अधिसूचना को वापस लेना पड़ा; और सेवारत मजूदरों को वेतन और सेवानिवृत मजदूरों को पेंशन का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया था।

हरियाणा

पुलिस दमन के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध

हरियाणा में सर्वकर्मचारी संघ व सीटू के आह्वान पर हजारों सरकारी, अर्ध सरकारी तथा अन्य सैक्टरों के हजारों मजदूर व कर्मचारियों के साथ शामिल हुए अन्य संगठनों ने हरियाणा रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ परिवहन मजदूरों की हड़ताल तथा उसकी एकजुटता में सरकारी कर्मचारियों व अन्य तबकों की हड़ताल तथा उसकी एकजुटता में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल व आन्दोलन के दौरान महिलाओं समेत गिरफ्तार नेताओं व मजदूरों पर हरियाणा पुलिस व जेल प्रशासन के द्वारा किये गये दमन व अत्याचारों के विरुद्ध जिला मुख्यालयों पर जुझारु जुलूस व प्रदर्शनों, रैलियों का आयोजन किया। इस हड़ताल को 2 नवम्बर को वापस लिया गया था जब पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस संघर्ष में मजदूरों की गिरफ्तारी अनुशासनात्मक कार्रवाहियों, मुकदमों पर पूरी तरह रोक लगाते हुए सरकार को आदेश दिया था कि वह आंदोलनरत मजदूरों के साथ द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करे। (सीटू मजदूर, नवम्बर 2018)

तुरन्त प्रतिक्रिया करते हुए हरियाणा के जेल मंत्री ने एक प्रेस सम्मेलन बुलाकर जेल के भीतर गिरफ्तार नेताओं व मजदूरों पर किये गये अत्याचारों की शिकायतों की विभागीय जाँच डी.जी.पी. (जेल) से कराने की घोषणा की। तथापि भिवानी व रोहतक के पुलिस थानों में अत्याचार करने वाले दोषी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाही नहीं की गयी है।

भिवानी जिला प्रशासन व पुलिस ने जनवादी आंदोलन में आंदोलनकारी कर्मचारियों के खिलाफ आतंक का राज शुरु किया था। उनके नेताओं को घरों में जबरन घुसकर; अस्पतालों में इलाज के बीच से, बस डिपो व अन्य स्थानों से गिरफ्तार किया गया; इनमें एडवा की जिला अध्यक्ष शामिल थीं। गिरफ्तार नेताओं को पुलिस कैंप में बस में ले जाते हुए बुरी तरह मारा गया। डी.सी. व एस.पी. खुद सिविल लाइन थाने में घंटों मौजूद रहकर गिरफ्तार नेताओं को यंत्रणा दिये जाने, गालियां दिये जाने व धमकियां दिये जाने की देख–रेख करते रहे। गिरफ्तार लोगों को कपड़े उतरवाकर, झूंठे मामले बनाकर आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेजा गया। 16 अक्टूबर को रोहतक बस डिपो में प्रदर्शन से गिरफ्तार मजदूरों के कपड़े उतरवाये गये और पुलिस थाने में यातना दी गयी। रोडवेज यूनियन के अध्यक्ष इन्द्र सिंह बधवाना को पुलिस स्टेशन व जेल में यातना दी गयी।

इस बीच, कोर्ट के निर्देशानुसार 12 नवम्बर को हुई द्विपक्षीय वार्ता असफल रही। उच्च न्यायालय ने रोडवेज के निजीकरण के बारे में यूनियन को अपनी राय रखने का निर्देश देते हुए 29 नवम्बर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।

अंतरष्ट्रीय

यूनान

पब्लिक सैक्टर, निर्माण व हेल्थकेयर क्षेत्र में जबर्दस्त हड़तालें

सार्वजनिक सेवाओं, निर्माण व हेल्थकेयर क्षेत्र के मजदूरों ने 14 नवम्बर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। निर्माण क्षेत्र में पी.ए.एम.इ. (वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड़ यूनियंस से संबद्ध) नेशनल फेडरेशन ऑफ वर्कर्स के नेतष्त्व में हुई हड़ताल विशेषतौर पर प्रभावशाली थी जो सभी बड़ी निर्माण साइटों में 90 प्रतिशत थी। पी.ए.एम.इ. यूनियनों नले देश के सभी प्रमुख शहरों में जुझारु रैलियां निकाली।

ाकिरजा सरकार सत्तावादी रुझान दिखाते हुए जुझारु ट्रेड यूनियन आंदोलन पर हमला कर रही है। हड़ताल के दौरान उसकी खुफिया पुलिस ने एथेन्स में बंदूकों के साथ हड़ताली निर्माण मजदूरों को धमकाया। इसकी दंगा पुलिस ने निर्माण मजदूरों के फेडरेशन के नेतष्त्व में जमा हुए निर्माण मजदूरों की हड़ताल को जबरन तोडने व उन्हें तितर–बितर करने की कोशिश की। यह घटना सिरिजा सरकार द्वारा जुझारु यूनानी ट्रेड यूनियन आंदोलन के खिलाफ पहले से किये जा रहे हमलों की कड़ी है।

ये जुझारु हड़तालें 28 नवम्बर को होने वाली मजदूर आम हड़ताल का रुप लेंगी।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dn	vxLr 2018	flrEcj 2018	jkT;	dn	vxLr 2018	flrEcj 2018
vk/k in'k	x.Vj	284	282	महाराष्ट्र	मुम्बई	297	295
	fot;ckMk	285	285		ukxiqj	361	366
	fo'kk[kkiÿkue	289	291		ukfld	334	336
vle	MeMek frulf[k;k	271	271		iq.k	314	317
	xokgkVh	260	261		'kkykiqj	309	313
	ycd flYpj	263	264	mMhlk	vkxqy&rkypj	318	319
	efj;kuh tkjgkV	253	253		jkmjdqyk	310	311
	jxkikjk rqtiqj	252	251	ikfMpfj	ikfMpfj	311	302
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	323	320	iatkc	verlj	321	321
p.Mhx<	p.Mhx<	303	304		tkyU/kj	303	303
NÿkhlxS	fHkykbZ	322	324		yf/k;kuk	286	287
fnYyh	fnYyh	286	287	jktLFkku	vtej	279	280
Xkkvk	xkvk	332	325		HkhyokMk	281	280
Xkqt jkr	vgenkckn	274	276		t;iqj	287	291
	Hkkouxj	292	292	rfeyukMq	pUuS	272	271
	jktdkV	290	289		dk;EcVwj	276	275
	lqjr	263	265		dqUuwj	314	314
	oMknjk	270	272		enjkbZ	282	281
gfj;k.kk	Qjhnkckn	273	273		lqye	283	282
	;euk uxj	287	287		fr#fpjkiYyh	293	293
fgekpy	fgekpy çns'k	267	266	rqyxkuk	xknkojh[kkuh	311	311
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	270	271		gnjkckn	253	253
>kj[k.M	ckdkjk	293	293		okjaxy	309	309
	fxfjMhg	330	329	f=iqjk	f=iqjk	264	265
	te'knsiqj	348	345	mÿkj çns'k	vkxjk	347	347
	>fj;k	340	346		xkft;kckn	320	319
	dkMek	365	365		dkuiqj	328	325
	jkph gfV;k	365	366		y[kuÅ	323	321
dukVd	cqyxke	298	298		okjk.klh	314	317
	cqxyq#	290	290	if'pe cxky	vklulkSy	324	326
	gcyh /kkjokM	317	318		nkftfyax	274	276
	ejdjk	305	305		nxkiqj	320	320
	eSlqj	303	305		gfYn;k	330	332
dqjy	,.kkdqye@vyobZ	310	305		gkoMk	284	285
	eq.MkD;ke	307	304		tkyikbxMh	286	281
	fDoyku	347	342		dkydkrk	283	283
e/; çns'k	Hkksiky	313	313		jkuhxat	280	280
	fNndokM	296	296		flyhxMh	271	273
	bUnkSj	275	274	vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**301**	**301**
	tcyiqj	308	309				

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- संपर्कः ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

8–9 जनवरी, 2019 की हड़ताल के लिए

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त राज्य सम्मेलन

(रिपोर्ट पृ० 18)

ओडिशा

राफेल सौदे पर (बिना टिप्पणी के)

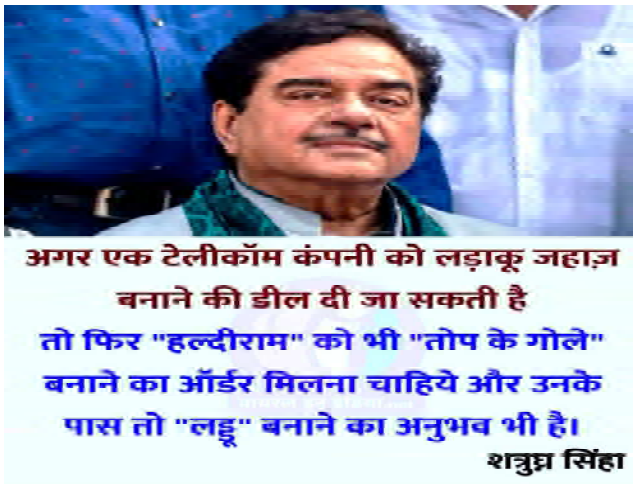

(If a telephone company can be given deal to make fighter jets, then 'Haldiram' also should have orders to make cannon balls; after all they have the experience of making 'Laddos')

- Satrughan Sinha on Rafale Deal

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No. U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/12/2018)

8–9 जनवरी, 2019 की हड़ताल के लिए

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त राज्य सम्मेलन

बिहार

सीटू की राष्ट्रीय सचिव ए.आर. सिन्धु ने रैली को सम्बोधित किया

ग्रीस में हड़ताल और रैली

(रिपोर्ट पृ० 25)

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**